राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(फोन : 0141-2227481, फैक्स : 2227602, टोल फ्री हेल्पलाईन : 9928900900)
ईमेलः—rj-slsa@nic.in वेब साईटः—www.rlsa.gov.in

क्रमांकः— एफ— 7(761)/रालसा/संस्था—कार्यालयाध्यक्ष/2019/328 दिनांक 13/6/19

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश क्रमांक एफ.7(76/2)/रालसा/संस्था—पीएलए गठन/2017/116 दिनांक 01.03.2019 द्वारा 09 स्थाई लोक अदालतें क्रमशः बालोतरा, दौसा, चुरू, मेड़ता, धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है परन्तु स्टॉफ सहित अन्य सुविधाएं प्रक्रियाधीन है। अतः आगामी आदेश तक इन स्थाई लोक अदालत कार्यालयों के वित्तीय कार्यो (अध्यक्ष, सदस्य एवं पदस्थापित कर्मचारीगण के वेतन, भत्ते एवं मानदेय इत्यादि) के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियों के प्रयोग हेतु राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संबंधित जिले के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है।

1. प्रत्येक माह की 25 तारीख तक स्वयं का उपस्थिति प्रमाण पत्र अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत द्वारा हस्ताक्षर कर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा।
2. जो स्टॉफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पृथक से गठित उपरोक्त वर्णित स्थायी लोक अदालत को उपलब्ध कराया गया है, चाहे वह Contractual/Retired कार्मिक हो या Machine with man हो या होमगार्ड हो, उसकी मासिक उपस्थिति माह के अंतिम कार्यदिवस या आगामी माह के प्रथम कार्यदिवस को अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।
3. स्थायी लोक अदालत के नियुक्त सदस्य (Members or Other persons) की उपस्थिति को भी प्रमाणित करते हुए माह के अंतिम कार्यदिवस को अथवा माह समाप्ति के पश्चात् नये माह के प्रथम कार्य दिवस को उपस्थित दिनों की संख्या/उपस्थिति का विवरण अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जावेगा।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व होगा की उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही तत्काल निर्धारित दर पर बिल बनाकर कोषालय को प्रेषित करेगा ताकि नियत तिथि एवं समय पर भुगतान हो सके।

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः– एफ– 7(761) / रालसा / संस्था–कार्यालयाध्यक्ष / 2019 / 14833 to 14876 दिनांक 13/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, बालोतरा, दौसा, चुरू, मेड़ता, धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ ।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा, दौसा, चुरू, मेड़ता, धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ ।
6. निदेशक / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव–प्रथम, रालसा।
7. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर / जयपुर।
8. उप सचिव (प्रशासन) गैर न्यायिक, रालसा, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, संबंधित जिला .... ।
10. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम / प्रशासनिक अधिकारी / प्रोग्रामर, रालसा, जयपुर।
11. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
12. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को अपलोड हेतु।
13. आदेश / संबंधित / रक्षित पत्रावली

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

D:\desktop data\Tejsingh\Office order\office order.docx